CONFIDENTIAL

HEADQUARTERS' OFFICE

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

PANCHDEEP BHAWAN:C.I.G. MARG:NEW DELHI - 110 002

Website : www.esic.nic.in

No. C- 11/25/07/2010-Vig **Date: .10.12**

12/11

To

1. All Regional Directors/Directors(Incharge)/Joint Directors(Incharge) Regional Office/Sub Regional Office,
2. Director(Medical) Delhi, Noida,
3. Medical Superintendends, All ESIC Hospitals/Model Hospitals/ODCs,
4. SSMC/SMC, ESI Corporation,

________________.

Sub: Adoption of Interity Pact Standard Operationg Procedure-reg.

Sir,

Circular No. 06/07/12 received from Central Vigilance Commission vide their letter no. 011/VGL/053 dated 23rd July, 2012 on the subject cited above is forwarded to you for ensuring compliance of the instructions given in circular.

Encl:As above.

Yours faithfully,

(MUKUL VATS)
ASSTT. DIRECTOR(VIG)
FOR DIRECTOR(VIG)

1264
12/11/12

Copy to:

1. PS to FC/IC/MC/Commissioner(P&A) for kind information.
2. Website Content Manager, Hqrs office for uploading on ESIC Website.
3. Guard file.

Sl. No. 10(R)

No. 011/VGL/053 - 187761
Central Vigilance Commission
*****

Satarkta Bhawan, Block-A,
GPO Complex, INA,
New Delhi-110023.
Dated: 23rd July, 2012

Circular No. 06/07/12

Subject:- **Adoption of Integrity Pact-Standard Operating Procedure-reg.**

In continuation of Commission's circular No. 10/5/09 dated 18.5.09 laying down "Standard Operating Procedure" for adoption of Integrity Pact in major Govt. Department/organisations, the Commission has decided to lay down age criteria for appointment of IEMs. Commission has therefore resolved that at the time of appointment as IEM, the person concerned should be less than 70 years of age. On completion of tenure of initial three years if age of 70 years has been crossed, further extension of two years will not be admissible.

2. Accordingly, a new sub-para i.e. 5.10 under Para 5 of the Commission's circular No. 10/5/09 dated 18.5.09 is added which may be read as under:

5.10 At the time of appointment as IEM the person should be less than 70 years of age. On completion of tenure of initial three years if age of 70 years has been crossed, further extension of two years will not be admissible.

Other provision contained in Commission's circular No. 10/5/09 dated 18.5.09 would remain unchanged.

(Madhu Sham)
Deputy Secretary

All Chief Vigilance Officers

764
17/8/12

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
आई.एस.ओ.9001-2008, पंचदीप भवन,
सी0आई0जी0 मार्ग, नई दिल्ली-110002

संख्या: सी-11/25/07/2010-सर्त0 **दिनांक : /11/2012**

सेवा मे,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक (प्रभारी) /संयुक्त निदेशक (प्रभारी), क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय,
2. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा
3. चिकित्सा अधीक्षक, सभी क.रा.बी. चिकित्सालय/ आदर्श चिकित्सालय, व्यवसायिक रोग-निदान केन्द्र
4. चिकित्सा आयुक्त/वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त,

---

विषय:- अखंडता समझौता (इटीग्रीटी पैक्ट) का अंगीकरण-मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त परिपत्र संख्या 06/07/2012 जो पत्र संख्या 011/वी.वी.एल./053 दिनांक 23/07/2012 के साथ प्राप्त है, प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि परिपत्र में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

(मुकुल वत्स)
सहायक निदेशक (सतर्कता)
कृते निदेशक (सतर्कता)

प्रतिलिपि:

1. वैयक्तिक सचिव/सहायक वित्त आयुक्त, बीमा आयुक्त, चिकित्सा आयुक्त एवं आयुक्त (का. एवं प्रशा.) को सूचना हेतु।
2. वेबसाईट सामग्री प्रबंधक/संगणक शाखा मुख्यालय को इसे एसिक वेबसाईड में अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. गार्ड फाईल।

सहायक निदेशक (सतर्कता)

सं.–011/वी.जी.एल/053
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक–ए
जी.पी.ओ. कम्प्लेक्स, आई.एन.ए.
नई दिल्ली– 110023
दिनांक– 23.07.2012

परिपत्र सं. 06.07.12

विषयः अखंडता समझौता (इंटीग्रीटी पैक्ट) का अंगीकरण–मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में।

आयोग के परिपत्र सं. 10/5/09, दि. 18.05.9 द्वारा बड़े सरकारी विभागों/संगठनों में अखंडता समझौता के अंगीकरण हेतु निर्धारित की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया के कम में आयोग ने आई.ई.एम की नियुक्ति के लिए आयु मापदंड निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसलिए आयोग ने यह संकल्प लिया है कि आई.ई.एम. के रूप में नियुक्ति के समय संबंधित व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रारंभिक तीन वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने पर यदि 70 वर्ष की उम्र पार कर गई हो तो दो वर्ष का और विस्तार ग्राह्य नहीं होगा।

2. तद्नुसार आयोग के परिपत्र सं. 10/5/09, दि. 18/5/09 के पैरा 5 में एक नया उप–पैरा अर्थात् 5.10 जोड़ा गया है जिसे निम्न प्रकार से पढ़ा जाएः–

5.10 आई.ई.एम के रूप में नियुक्ति के समय व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रारंभिक तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर यदि 70 वर्ष की उम्र पार कर गई हो तो दो वर्ष का और विस्तार ग्राह्य नहीं होगा।

आयोग के परिपत्र सं.– 10/5/09, दि. 18.5.09 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

हस्ता.

(मधु शाम)
उप सचिव

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

A.odt

Website Content